व्यापमं घोटाला : महिला डॉक्टर को जमानत

नियत समय-सीमा में रूरल सर्विस बांड राशि जमा करने पर एनओसी से नहीं किया जाएगा वंचित

जबलपुर, 27 जनवरी. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस हिमांशु जोशी की युगलपीठ ने प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले की आरोपी डॉ. आकांक्षा तोमर को सशर्त राहत प्रदान की है.

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय-सीमा में रूल सर्विस बांड की राशि जमा कर देती हैं, तो केवल व्यापमं जांच लंबित होने के आधार पर उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता. हालांकि, कोर्ट ने जांच एजेंसियों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता पर कड़ी शर्तें लगाते हुए उसके देश छोड़ने पर सशर्त रोक भी लगा दी है.

दरअसल ग्वालियर निवासी आकांक्षा तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उन्हें रूरल सर्विस बांड से छूट दी जाए या फिर बांड की राशि जमा कर एनओसी जारी करने का आदेश दिया जाए. राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित की दलील थी कि व्यापमं घोटाले की जांच अभी लंबित है और बांड समाप्त होने पर याचिकाकर्ता निगरानी क्षेत्र से बाहर जा सकती हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकारों को रोका नहीं जा सकता, जब जांच एजेंसी के हितों की रक्षा शर्तों के माध्यम से की जा सकती है. न्यायालय ने माना कि उचित सुरक्षा उपाय अपनाकर याचिकाकर्ता की स्पेशल कोर्ट और जाँच एजेंसियों के सामने उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है. हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता 30 दिनों के भीतर ग्रामीण सेवा बांड की राशि जमा करें.

आरक्षण मामले में सपाक्स-अजाक्स की दलीलें पूरी

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार की नई पॉलिसी को चुनौती देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अजाक्स और सपाक्स की ओर से दलीलें पूरी की गईं. सपाक्स ने हाईकोर्ट के सामने कर्मचारियों के ग्रेडेशन के आंकड़े भी रखे. मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नई प्रमोशन पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कहां पर पालन किया गया है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि आरबी राय मामले में बताई गई कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया है. हाईकोर्ट ने पूछा कि पुरानी पॉलिसी में किन सुधारों के बाद नई पॉलिसी लाई गई है. मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को नियत की है. अजाक्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. केएस चौहान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट को बताया कि प्रमोशन 2025 के नियम 11 (1,2,3) सहित अन्य नियम पूर्णत: असंवैधानिक है.

खड़ी कार में मिला पुजारी का शव

▸ सिर में गोली लगने से मौत, शीशा तोड़कर खोला वाहन

इंदौर, 27 जनवरी. महालक्ष्मी नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सुनसान क्षेत्र में खड़ी एक कार के भीतर पुजारी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

कार अंदर से लॉक थी, जिसे पुलिस ने शीशा तोड़कर खोला. मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है. सिर में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई है, हालांकि मामला आत्महत्या है या हत्या, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है, पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी है.

खजराना थाना प्रभारी मनोज सेंधव ने बताया कि मृतक की पहचान 36 वर्षीय सतीश शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा के रूप में हुई है. सतीश मूल रूप से अशोक नगर जिले के रहने वाले थे और इंदौर में लसूड़िया मोरी स्थित एक मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत थे, वे अपने परिवार के साथ इंदौर में रह रहे थे. परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. सतीश शर्मा सोमवार देर शाम पत्नी से पाटनीपुरा से पूजा का सामान लेने की बात कहकर घर से निकले थे.

महालक्ष्मी नगर इलाके में सड़क किनारे खड़ी उनकी कार दिखाई दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार अंदर से बंद थी. शीशा तोड़कर कार खोली गई, जहां सतीश शर्मा का शव ड्राइवर सीट पर मिला. उनके सिर में गोली लगी हुई थी. कार के भीतर से एक पिस्टल भी बरामद की है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सतीश शर्मा की इलाके में रहने वाली एक युवती से दोस्ती थी, जिसे लेकर परिवार में तनाव चल रहा था. सोमवार को भी दोनों के बीच बातचीत होने की बात सामने आई है.

हमलावरों ने जीजा-साले पर की फायरिंग

सपनी दुआरी के सूनसान रास्ते में हुई घटना

सीधी, 27 जनवरी. जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 10 बजे दो बाइक सवार युवकों को हमलावरों ने गोली मार दी. दोनों के गर्दन में गोली लगी है. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

उन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के पश्चात तत्काल संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रीवा रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घायल युवकों की पहचान मानिक यादव निवासी ग्राम सपनी दुआरी और उसके साले रजनीश यादव निवासी ग्राम पड़खुरी नंबर-1 के रूप में हुई है. दोनों धनखोरी से सपनी दुआरी लौट रहे थे. गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर पहले जब वे एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आई एक कार रुक गई और उसमें से दो अज्ञात व्यक्ति उतरे. कुल पांच राउंड फायर किए गए, जिनमें से तीन गोलियां युवकों को लगीं और दो मिस फायर हो गईं. घटनास्थल से पुलिस को तीन खाली खोखे भी बरामद हुए हैं.

जिम में हुए मामूली विवाद पर युवक पर प्राणघातक हमला

शहडोल, 27 जनवरी. बुढ़ार रोड स्थित एक होटल में संचालित जिम में साउंड कम करने को लेकर हुए विवाद में तीन युवकों ने एक युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया. जिससे युवक के सिर-मुंह में गंभीर चोटें आईं.

बता दें कि जिम में एक युवती द्वारा गाना धीमा करने की बात कहने पर कुछ युवकों द्वारा युवती से गाली-गलौज की जाने लगी, वहीं उसके दोस्त ने युवकों को मना किया जो कि युवकों को नागवार गुजरा और मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और तीन युवकों ने मिलकर एक मना करने गए युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक के सिर में गहरी चोट आई है.

पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीव्ही कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका फुटेज अब जांच का आधार बना है. मारपीट करने वाले युवकां पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. जितेन्द्र सिंह, किशन सिंह और उनके एक अन्य अज्ञात साथी ने मिलकर जिम के अंदर ही ऋषि मिश्रा के साथ मारपीट की.

एक नजर में

बन्दुक की दुकान में ब्लास्ट, 4 गंभीर झुलसे

रतलाम. शहर के चांदनी चौक क्षेत्र में बन्दुक की दूकान के अंदर हुए ब्लास्ट में दुकानदार सहित तीन लोग गंभीर तरह से झुलसे है. जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था. जहां 4 की हालत गंभीर होने से उन्हें मेडिकल कॉलेज बाद इंदौर रेफर किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक लेब के अधिकारी विस्फोट के कारणों का पता करने में जुट गई है. शहर के मुख्य बाजार चांदनी चौक के लक्कड़पीठा रोड पर एक बन्दुक की दूकान में वेल्डिंग के दौरान जोरदार ब्लास्ट हो गया. चुकी बन्दुक की दूकान में बारूद होने से आग भभक उठी और तीन लोग गंभीर झुलस गए. हादसा इतना भयानक था की झुलसे लोग रोड पर आ गए और लोगो में अफरा तफरी का माहौल हो गया. गंभीर घायल दुकान मालिक यूसुफ अली निवासी सुतारो का वास, वेल्डिंग कारीगर शेख रफीउद्दीन निवासी बाईजी का वास, साथी नाज़िर निवासी अर्जुन नगर को तुरंत जिला चिकित्सालय ले गए, जहा उनकी हालत गंभीर होने से मेडिकल कॉलेज के बाद डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर दिया. सूचना मिलते ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाडिया और पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए. फोरेंसिक लेब की टीम ने भी अधिकारियो के साथ घटना स्थल को मौका मुआवना किया. सुचना मिलते ही शहर महापौर प्रहलाद पटेल भी मौके पर पहुंचे. पुलिस को मौके से खाली कारतूस और बारूद मिला. पुलिस ने दुकान के अंदर से बड़ी मात्रा में रखी बंदूके एवं सामग्री को जब्त कर लिया है. अधिकारी विस्फोट की विस्तृत जानकारी में जुटे हुए है.

ट्रेकर्स पहुंचे नदियों, पहाड़ों और खेतों के बीच

पातालकोट के रीतिरिवाजों, पारंपरिक जीवनशैली सहित इतिहास को जाना

छिंदवाड़ा, 27 जनवरी. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, जिला प्रशासन और इंडिया हाईक्स ने मिलकर छिंदवाड़ा के पातालकोट में राष्ट्रीय स्तर का ट्रेकिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें देश के महानगरों से आए 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

पातालकोट की गहराई में दूधी नदी के किनारे रेत और पत्थरों, पहाड़ों और जंगलों के बीच चार दिन रहकर ट्रेकर्स ने जीवन का शानदार अनुभव लिया. करीब 25 किलोमीटर लंबे इस ट्रेकिंग प्रोग्राम के जरिए पातालकोट के युवाओं व जनजाति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया. ट्रेकर्स का चिमटीपुर के होमस्टे में परार्थ समिति ने भावभीना स्वागत किया, यहां उन्होंने गेड़ी व सताम नृत्य भी देखा. पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के नए विकल्प खोजने मप्र टूरिज्म बोर्ड, जिला प्रशासन और इंडिया हाईक्स की पहल पर हुई ट्रेकिंग में सहभागिता करने नागपुर, बैंगलूरू, हैदराबाद, जयपुर, पांडिचेरी, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद से 15 ट्रेकर्स आए थे. पहले ही दिन जिला कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अग्रिम कुमार के साथ परासिया एसडीएम श्री शुभम यादव ने चिमटीपुर बेस कैंप में मुलाकात की.

सुखद अनुभव लिया

ट्रेकिंग ने देश भर से आए ट्रेकर्स को प्रकृति के करीब ला दिया है. ट्रेकर्स ने बताया कि पातालकोट अंचल के हरे-भरे जंगल, कोहरे से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ और पहाड़ों की शांत वादियाँ आत्मा को सुकून देती हैं. पातालकोट जैसे पर्वतीय क्षेत्र में ट्रेकिंग करने से वहां के रीति-रिवाजों और पारंपरिक जीवनशैली के बारे में जानने का मौका मिला और उनकी संस्कृति और जीवनशैली को करीब से जाना है. यह अनुभव न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि मुझे बेहतर इंसान बनाता है. प्रकृति के सरंक्षण का लिया संकल्प प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है. इस थीम पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, जिला प्रशासन और इंडिया हाईक्स ने इस कार्यक्रम को प्लास्टिक फ्री बनने की पहल की थी, जिसे सभी ट्रेकर्स ने खूब सराहा. प्लास्टिक कचरा न फैलाना, पेड़ों को नुकसान न पहुँचाना, और जैव विविधता को बचाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है. सभी ट्रेकर्स ने यह प्रयास किया कि ट्रेकिंग के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया और सभी ने अपने साथ आने वाले ट्रेकर्स को भी यही सिखाने का प्रयास किया है.

पुलिस रिमांड पर कांच फोड़ने वाली गैंग

उज्जैन 27 जनवरी. एक माह पहले 3 थाना क्षेत्र में खड़ी कारों के कांच फोडक़र बैग उडऩे वाली ठक-ठक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

गैंग के चार सदस्यों को रिमांड पर लेकर तीन को जेल भेजा गया है. गैंग से 4.20 लाख रुपये बरामद किए गए हैं शेष की बारामदगी के प्रयास जारी है. नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को प्रॉपर्टी ब्रोकर आकाश लश्करी की कार ट्रेजर बाजार के पास खड़ी थी. जिसका बदमाशों ने कांच खोलकर बैग चोरी कर लिया था. बैग में 20 लख रुपए नगद रखे थे. वारदात के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए जिसमें आधा दर्जन से अधिक बदमाशी दिखाई दिए. पुलिस जांच में लगी थी तभी सामने आया कि कारो के कांच फोड़ने की वारदात महाकाल और माधव नगर थाना क्षेत्र में भी हुई है. फुटेज खंगालने पर सामने आया कि बदमाश हरसिद्धि पाल के समीप एक होटल में श्रद्धालु बनाकर ठहरे थे. होटल से जानकारी लेने के बाद बदमाश तमिलनाडु के होना सामने आए. जिनकी तलाश में एक टीम रावण की गई. कई दिन की तलाश के बाद गैंग में शामिल सात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

जिसमें आदिनाथ शेरवे (60), कारवनन (31), शशि कुमार शेरवे (45), कार्तिकेय शेरवे (35), नित्याआंथम (27), किरण कुमार (27) और हरीश कुमार (23) शामिल है. सभी को न्यायालय में पेश किया गया था. जहां से तीन को जेल भेजा गया है चार को रिमांड पर लिया गया है.

PhoenixARC

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वालेस टॉवर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **टेलीफोन:** 022-6849 2450, **फैक्स:** 022-6741 2313
सीआईएन: U67190MH2007PTC168303
ई-मेल: info@phoenixarc.co.in, **वेबसाइट:** www.phoenixarc.co.in.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड - असाइनर के नाम से जाना जाता था) द्वारा ऋण के असाइनमेंट के अनुसार फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित सम्पत्ति को 'जैसी है, जैसी है और बिना किसी सहारे के' 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली की जा सके, जैसा कि नियम 8 और 9 के साथ पढ़े गए SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002) के अनुसार वेबसाइट www.phoeni&arc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

नीलामी की तिथि और समय : 18.02.2026/11.00 पूर्वाह्न से 02.00 अपराह्न (प्रत्येक 15 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	**LAN: LXBHO00215 160020090. शाखा:** भोपाल **उधारकर्ता:** कुश कुमार दयाकिशन शर्मा **सह-उधारकर्ता:** विशाल आनंदीलाल शर्मा	05.02.2018 के लिए रुपए 758450/- (सात लाख अट्ठावन हजार चार सौ पचास मात्र)	प्लॉट नंबर एफ-19, खसरा नंबर 435 का एक हिस्सा, आनंद नगरफेस-ली भूगोर, आनंद नगर 465333 कालापीपल शाजापुर मध्य प्रदेश में स्थित है	**आरक्षित मूल्य:** रु. 2,40,000/- (रु. दो लाख चालीस हज़ार मात्र) **अग्रिम जमा:** रु. 24000/- (रु. चौबीस हजार मात्र) **अग्रिम जमा करने की अंतिम तिथि:** 17.02.2026

ई-नीलामी के नियम और शर्तें- 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है. बोलीदाता बोली लगाने की जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, M/S ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल: https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं. इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तों और प्रक्रिया को देख सकते हैं और **तरुण रघुवंशी 9329414448** और **पंकज पांडे- 9340143244, शैलेष आयंगर 9833801159,** से संपर्क कर सकते हैं, विवरण ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल में उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क +91 83709 69696, ई-मेल आईडी contact@auctionbazaar.com से संपर्क कर सकते हैं. 2. सभी इच्छुक क्रेता बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है और पूर्वोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा. 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ ऊपर उल्लिखित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा करना होगा, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना आवश्यक है. 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को स्थगित कर सकता है. 5. सफल खरीदार/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी वैधानिक बकाया, देय कर शुल्क, खरीद विचार पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा. 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए. नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा. फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा. 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ इस तरह के वचनबद्धता को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह स्वत: ही अयोग्य हो जाएगा या उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी.

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 28.01.2026

अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय 27-ए, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुंडई, चेन्नई-600032 तमिलनाडु
E-mail: auction@hindujahousingfinance.com

APPENDIX-IV-A (See proviso to rule 8

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV A) (नियम 8(6))

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफ) को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, दूसरी मंजिल, लिटिलमाउंट, सैदापेट, चेन्नई-600015 में स्थित है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम) के तहत। जबकि एचएचएफ के अधिकृत अधिकारी (एओ) ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित खातों में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, और उन्हें जैसा है जहां है और जैसा है जो है के आधार पर नीचे दी गई तिथियों पर सुरक्षित लेनदार को उधारकर्ताओं और गारंटरों से देय राशि की वसूली के लिए बेचने का अधिकार है। यह बिक्री अधिकृत अधिकारी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

ईएमडी की आखिरी तारीख- 24/02/2026 7 नीलामी की तारीख- 27/02/2026 7 निरीक्षण की तारीख- 16/02/2026-22/02/2026

क्र.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर	डिमांड नोटिस / बकाया राशि	कब्जे की तारीख / आरक्षित मूल्य / बयाना जमा राशि	संपत्ति का विवरण
1	**MP/IDR/DHAR /A000000154.** 1. श्री प्रदीप प्रजापत 2. श्रीमती मनीषा प्रजापत	डिमांड नोटिस की तारीख- 17.06.2025 कुल बकाया राशि- 06/06/2025 तक रु. 421513/-	कब्जे की तारीख- 17/06/2025 आरक्षित मूल्य- रु. 6,74,160/- बयाना जमा राशि (ईएमी)रु. 67,416/-	संपत्ति का विवरण- आवासीय मकान नंबर 102, ग्राम आबादी सर्वे नंबर 452, पी. एच. नंबर 47, वार्ड नंबर 05, गांव बिलोदा खुर्द, तहसील पीथमपुर जिला धार (म.प्र.) कुल क्षेत्रफल- 561.80 वर्ग फुट। मापा गया क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 561.80 वर्ग फुट। सीमाएं- बिक्री विलेख के अनुसार-पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-हीरालाल का मकान, दक्षिण-रामेश्वर इंदौरी का प्लॉट
2	**MP/IDR/DHAR/A000000381.** 1. श्री केतन जोशी 2. श्रीमती उर्मिला जोशी 3. श्री वीरेंद्र जी	डिमांड नोटिस की तारीख- 14/06/2025 कुल बकाया राशि- 06/06/2025 तक रु. 1937564/-	कब्जे की तारीख- 15/09/2025 आरक्षित मूल्य- रु. 40,38,400/- बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 4,03,840/-	प्रॉपर्टी का विवरण- प्लॉट नंबर 124, म्युनिसिपल हाउस नंबर 149 का हिस्सा, वार्ड नंबर 10, पीएच नंबर 85, सूर्यांश पैराडाइज परिसर कॉलोनी, बड़नगर, जिला उज्जैन एम.पी 456771. कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट. क्षेत्रफल का माप- कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट. सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व-कॉलोनी रोड, पश्चिम-प्लॉट नंबर 115, उत्तर-प्लॉट नंबर 123, दक्षिण-प्लॉट नंबर 125
3	**MH-KGN-KHGN-A000000005.** 1. श्री राकेश वर्मा 2. श्रीमती निशा वर्मा	मांग नोटिस की तारीख- 22.12.2024 कुल बकाया राशि 10,03,247/- रुपये 20/12/2024 तक	कब्जे की तारीख- 16/04/2025 आरक्षित मूल्य- 14,27,200/- रुपये बयाना जमा राशि (ईएमडी) 1,42,720/- रुपये	प्रॉपर्टी का विवरण- प्रॉपर्टी स्थित है, वार्ड नंबर-21 संपदा दिशानिर्देशों के अनुसार वार्ड नंबर 22, मकान नंबर 1226, पी.एच. नंबर-43, इंदिरा नगर, नाग मंदिर के पास, खरगोन, मध्य प्रदेश-451001, शहरी, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत - 451001. क्षेत्रफल का माप- कुल क्षेत्रफल 840 वर्ग फुट. सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार-पूर्व- संगीता वर्मा का मकान, पश्चिम-सड़क, उत्तर-गोकुल वर्मा का मकान, दक्षिण-मुकेश वर्मा का मकान
4	**MH/KGN/KHGN/A000000115** 1. श्री अरविंद चौहान 2. श्रीमती राधा बाई चौहान	मांग नोटिस की तारीख- 14/06/2025 कुल बकाया राशि 722600/- जैसा कि 06/06/2025 को है	कब्जे की तारीख- 15/09/2025 आरक्षित मूल्य- रु. 12,00,000/- बयाना जमा (ईएमडी) रु. 1,20,000/-	संपत्ति का विवरण- मकान नंबर 181, आबादी खसरा नंबर 189, वार्ड नंबर 03, पी एच नंबर 60, तहसील भीकनगांव, जिला-खरगोन, मध्य प्रदेश-451331 में स्थित है। कुल क्षेत्रफल -- 1250 वर्ग फुट। मापा गया क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट। सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व-ज्योति अनार का मकान, पश्चिम-बृजेश शिव का मकान, उत्तर-सड़क, दक्षिण-स्वयं की भूमि
5	**MH/KGN/KHGN/A000000147.** 1. श्री हेमन्द सिंह 2. श्रीमती पुष्पा समेदा	मांग नोटिस की तारीख- 19/06/2025 कुल बकाया रु. 607807/- जैसा कि 15/06/2025 को है	कब्जे की तारीख- 15/09/2025 आरक्षित मूल्य- रु. 11,43,040/- बयाना जमा ((ईएमडी) रु. 1,14,304/-	संपत्ति का विवरण- ग्राम समेदा पी एच नंबर 65 खसरा नंबर 136, ग्राम पंचायत समेदा तहसील कसरावद जिला, खरगोन, मध्य प्रदेश, भारत-451228। क्षेत्रफल 1120 वर्ग फुट। मापा गया क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 1120 वर्ग फुट। सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-मनसिंह पुत्र गणपत सिंह का मकान, उत्तर-स्वयं का बाड़ा, दक्षिण-सुमेर सिंह पुत्र भंवर सिंह का बाड़ा[illegible]000000132. 1. श्री जीवन मदनसिंह 2. श्रीमती माया बाई
6	**MP/IDR/DHAR/A000000132.** 1. श्री जीवन मदन सिंह 2. श्रीमती माया बाई	डिमांड नोटिस की तारीख- 17/06/2025 कुल बकाया राशि- 06/06/2025 तक 1036002/- रुपये	कब्जे की तारीख- 15/09/2025 आरक्षित मूल्य- 22,42,080/- रुपये बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 2,24,20	संपत्ति का विवरण- मकान नंबर 123, सर्वे नंबर 152/1 पैकी पर स्थित, पी.एच नंबर 25, वार्ड नंबर 03, गांव बोराली, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.).....454660. कुल क्षेत्रफल- 1980 वर्ग फुट. मापा गया क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 1980 वर्ग फुट. सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- अपनी कृषि भूमि, उत्तर- नारायण सिंह का मकान, दक्षिण- अपनी कृषि भूमि
7	**MP/IDR/INDR/A000000564.** 1. श्री कांति चंद्रवंशी 2. श्री वेणीप्रसाद चंद्रवंशी	डिमांड नोटिस की तारीख- 14/06/2025 कुल बकाया राशि- 06/06/2025 तक 1129711/- रुपये	कब्जे की तारीख- 10/09/2025 आरक्षित मूल्य- 15,50,000/- रुपये बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 1,55,000	संपत्ति का विवरण- फ्लैट नंबर [illegible]-1, चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 123स, लाराराम नगर, ग्राम पिपलियाहाना, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452002, कुल क्षेत्रफल 775 वर्ग फुट. मापा गया क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 775 वर्ग फुट. सीमाएँ- सेल डीड के अनुसार- पूर्व- खुला स्पा और घर के नीचे, पश्चिम-सीढ़ी, उत्तर- फ्लैट नंबर P-2, दक्षिण- प्लॉट नंबर 123-E
8	**MP/IDR/INDR/A000001294.** 1. श्री गुलाब सिंह 2. श्रीमती कृष्णा बाई	डिमांड नोटिस की तारीख- 09-05-2025 कुल बकाया राशि- 05/05/2025 तक 1295343/- रुपये	कब्जे की तारीख- 05/08/2025 आरक्षित मूल्य- 26,31,360/- रुपये बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 2,63,130	संपत्ति का विवरण- संपत्ति ग्राम मीरपुरखेड़ी, पी.एच नंबर 52, (सरल नंबर 2341), तहसील सोनकच्छ, जिला- देवास मध्य प्रदेश, भारत-455118 में स्थित है। कुल क्षेत्रफल-278.81 वर्ग मीटर। मापा गया क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल वर्ग फुट-278.81 वर्ग मीटर। सीमाएँ- सेल डीड के अनुसार-पूर्व-सड़क, पश्चिम-भंवर सिंह का घर, उत्तर-सड़क, दक्षिण-करण सिंह का प्लॉट
9	**MP/IDR/INDR/A000001315.** 1. सुश्री ममता शिकारवार 2. श्री विकास सिंह	डिमांड नोटिस की तारीख- 09-05-2025 कुल बकाया राशि- 05/05/2025 तक 3256629/- रुपये	कब्जे की तारीख- 31/07/2025 आरक्षित मूल्य- रुपये 37,23,000/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 3,72,300	प्रॉपर्टी का विवरण- प्रॉपर्टी फ्लैट/मकान नंबर 543 E.W.S., ग्राउंड फ्लोर, नंदा नगर स्टेडियम, ग्राउंड, वार्ड 25, कॉलोनी गार्डन के पास, शहरी, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत - 452001 में स्थित है, कुल क्षेत्रफल - 23.16 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 23.16 वर्ग मीटर। सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व - खुली ज़मीन, पश्चिम - मकान नंबर 542 E.W.S, उत्तर - पिछला रास्ता, दक्षिण - सड़क
10	**MP/IDR/INDR/A000001494.** 1. श्री जगदीश सहारे 2. श्रीमती प्रतीक्षा जगदीश सहारे	मांग नोटिस की तारीख- 14/06/2025 कब्जे की तारीख- 10/09/2025	कुल बकाया ऋण. 1023293/- दिनांक 06/06/2025 तक आरक्षित मूल्य- रु.15,76,400/- बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,57,648	प्रॉपर्टी का शेड्यूल- फ्लैट नंबर 405, सूर्यांश श्रीजी, प्लॉट नंबर ए-7, श्रीजी वैली, गांव बिचोली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश-452016. कुल एरिया--563 Sq.ft. नापा गया एरिया- कुल एरिया 563 Sq.ft. सीमाएं- सेल डीड के अनुसार- पूर्व-प्लॉट नंबर 9, पश्चिम-फ्लैट नंबर 404, उत्तर- प्लॉट नंबर ए-6, दक्षिण- कॉमन पैसेज
11	**MP/IDR/DHAR/A000000620.** 1. श्री कृष्णा दास 2. श्रीमती रामकन्या बाई 3. श्री गोकुल जी	डिमांड नोटिस की तारीख- 17/06/2025 कुल बकाया राशि- 06/06/2025 तक रु. 657973/-	कब्जे की तारीख- 15/09/2025 रिजर्व प्राइस- रु. 9,62,040/- बयाना जमा (ईएमडी) रु. 96,204	प्रॉपर्टी का शेड्यूल- प्लॉट नंबर 99, वार्ड नंबर 06, ग्राम आबादी नंबर 302, Ph नंबर 289, ग्राम देलामी, धार, मध्य प्रदेश, 4540 कुल एरिया-- 108.97 Sq.mt. नापा गया एरिया- कुल एरिया 108.97 Sq.mt. सीमाएँ- सेल डीड के अनुसार-- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- खुली ज़मीन, उत्तर- रामदास बिहारी का घर, दक्षिण- खुली ज़मीन
12	**MP/IDR/DHAR/A000000181.** 1. श्री प्रहलाद सिंह 2. श्रीमती दीपाली तंवर	डिमांड नोटिस की तारीख- 16.06.2025 कुल बकाया राशि- 06/06/2025 तक 287243/- रुपये	कब्जे की तारीख- 16/06/2025 आरक्षित मूल्य- 8,76,240/- रुपये बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 87,624/-	संपत्ति का विवरण- आवासीय मकान नंबर 44, सर्वे नंबर 209/2, फोन नंबर 70, वार्ड नंबर 02, गाँव दंतोली, तहसील सरदारपुर, जिला- धार (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल 95.91 वर्ग मीटर। मापा गया क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 95.91 वर्ग मीटर। सीमाएँ- सेल डीड के अनुसार- पूर्व-पर्वत सिंह का घर, पश्चिम-राजेंद्र सिंह का प्लॉट, उत्तर-स्वयं की भूमि, दक्षिण-आम सड़क
13	**MP/IDR/DHAR/A000000391.** 1. श्री दिनेश कटारे 2. श्रीमती सीता बाई	डिमांड नोटिस की तारीख- 14/06/2025 कुल बकाया राशि- 06/06/2025 तक 709079/- रुपये	कब्जे की तारीख- 10/09/2025 आरक्षित मूल्य- 9,00,000/- रुपये बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 90,000/-	संपत्ति का विवरण- रूह 168, वार्ड नंबर 04, मकान नंबर 66 [illegible] नंबर 02/187, ग्राम सिमलावदा, ग्राम आबादी, ग्राम पंचायत, धार, मध्य प्रदेश, 454001, कुल क्षेत्रफल 990 वर्ग फुट। मापा गया क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 990 वर्ग फुट। सीमाएँ- सेल डीड के अनुसार;- पूर्व- अपना टीन शेड, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- राम कन्या बाई का घर, दक्षिण- महताब का घर
14	**MP/IDR/DHAR/A000000717** 1. श्री धर्मेंद्र बुंदेला 2. श्रीमती रामकन्या बुंदेला	डिमांड नोटिस की तारीख- 17/06/2025 कुल बकाया राशि- 15/06/2025 तक 788895/- रुपये	कब्जे की तारीख- 15/09/2025 आरक्षित मूल्य- 9,81,120/- रुपये बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 98,112/-	संपत्ति का विवरण- मकान नंबर 32, PH नंबर. 17, गांव कुसुमाला, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) क्षेत्रफल 748 वर्ग फुट। क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 748 वर्ग फुट। सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व- सार्वजनिक सड़क, पश्चिम- स्वयं का घर, उत्तर- बर्मानंद का घर, दक्षिण- स्वयं की भूमि
15	**MP/IDR/DHAR/A000000559** 1. श्री ईश्वर सिंह 2. श्रीमती अंजू मकवाना	मांग सूचना तिथि- 17/06/2025 कुल बकाया राशि- 06/06/2025 तक 617912/- रुपये	कब्जा तिथि- 15/09/2025 आरक्षित मूल्य- 8,85,840/- रुपये बयाना जमा (ईएमडी) रु. 88,584/-	संपत्ति का विवरण- प्लॉट नंबर 23, आबादी सर्वे नंबर 80, पी.एच नंबर पुराना 14 और नया 00014, गांव कठोदिया, ग्राम पंचायत पालिबड़ौदा, तहसील बदनावर, जिला-धार (म.प्र.) - 454660. कुल क्षेत्रफल--185 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 185 वर्ग मीटर। सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार; पूर्व- पुनालाल का घर, पश्चिम- रघुनाथ सिंह मकवाना का घर, उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण- मोहन सिंह की भूमि
16	**MH/KGN/KHGN/A000000161.** .1. श्री कालू यादव 2. श्रीमती कविता यादव	मांग सूचना तिथि- 19/06/2025 कुल बकाया राशि- 15/06/2025 तक 737611/- रुपये	कब्जा तिथि- 15/09/2025 आरक्षित मूल्य- 14,49,600/- रुपये बयाना जमा (ईएमडी) रु. 1,44,960/-	संपत्ति का विवरण प्रॉपर्टी- मकान नंबर 46, आबादी खसरा नंबर 94, पी.एच नंबर 05, ग्राम पोस्ट दयालपुरा, तहसील गोगवां जिला, खरगोन मध्य प्रदेश, भारत -451335. क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट. क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट. सीमाएँ- सेल डीड के अनुसार- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-दगाडू का बाड़ा, उत्तर-कमल का मकान, दक्षिण-महेश का मकान1

नियम एवं शर्तें- 1. केवाईसी के साथ बयाना राशि जमा करने के लिए डीडी जमा करने की अंतिम तिथि. निविदा प्रपत्र और स्वीकृत नियम एवं शर्तें (निविदा दस्तावेज) 24-02-2026 को दोपहर 3:00 बजे तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर जमा किए जा सकते हैं या https://bankeauctions.com पर अपलोड किए जा सकते हैं. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेज अमान्य निविदा माने जाएंगे और तदनुसार अस्वीकृत कर दिए जाएंगे. ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. 2. बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि (संपत्ति की नीलामी तिथि) 27-02-2026 को https://bankeauctions.com पर दोपहर 3:00 बजे से शाम 5.00 बजे तक है. 3. हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) ऊपर उल्लिखित संपत्ति पर लंबित किसी भी प्रकार की देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है. संपत्ति की नीलामी जैसा है जहां है के आधार पर की जाएगी. 4. डिमांड ड्राफ्ट केवल हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बनाया जाना चाहिए. 5. नीलामी/बोली लगाना केवल वेबसाइट https://banke auctions.com के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाने के द्वारा ही होगा. बोली लगाने वालों को नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है. 6. इच्छुक बोलीदाताओं को मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल पर https://banke auctions.com/registration/signup लिंक के माध्यम से अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और नि:शुल्क अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए. इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से वेबसाइट https://banke auctions.com के माध्यम से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. 7. अधिक जानकारी के लिए, हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें. **श्री राजेश चकोटिया 8435571111 (आरआरएम), श्री वैभव श्रीवास्तव (आरएलएम) 7987969803, सुश्री अंकिता पाटिल - 7723055195 (सीएलएम), श्री गोविंद चौहान 8962816436 (सीआरएम) या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** प्लॉट नंबर- 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा -122003 (संपर्क संख्या- 7291981124, 25, 26) सहायता ईमेल- Support@bankeauctions.com. **श्री मिथिलेश कुमार, मोबाइल- +91 70808 04466.** ईमेल- delhi@cvindia.com और support@bankeauctions.com. आज की तारीख तक, एचएचएफएल (एचएचएफ का अधिकृत अधिकारी) को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण और/या निपटान से रोकने वाला कोई आदेश या न्यायालयी निषेधाज्ञा नहीं है. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट https://banke auctions.com पर जाएं.

Place: Madhya Pradesh Date: 28/01/2026. Sd/- Authorised Officer - Hinduja Housing Finance Limited